PRADEEP KUMAR MANI
H.J.S.
Member-Secretary

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

ADR Building, High Court Campus,
Nainital-263001

To,

All District Judges/Chairpersons,
District Legal Services Authorities,
Uttarakhand.

No. 1489 /UKSLSA/2025-26 Dated: 11th July, 2025

Subject: Enhancement of limit of expenditure for monthly meetings.

Sir,

With regard to the abovementioned subject, it is to inform your goodself that vide this Authority's earlier letter No. 111 dated 25.05.2010 the expenditure limit of meeting for legal aid programmes for DLSAs was fixed to Rs. 300/- per meeting.

It is further informed that the 23rd Annual General Meeting of UKSLSA, Nainital was convened on 26.06.2025 and with regard to the limit of expenditure for monthly meetings of DLSAs the following resolution has been passed:

> **"It is resolved that the expenditure limit for organizing monthly meetings of the District Legal Services Authorities shall be enhanced from ₹300/- to a maximum of ₹2,000/- per meeting from the relevant Head of the State Budget."**

Accordingly, your goodself is kindly requested to ensure the compliance of the abovementioned resolution.

Regards.

Yours sincerely,

11.07.25

(Pradeep Kumar Mani)

Phone No. 05942-236762, Telefax: 05942-236552, E-mail: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
Website: www.slsa.uk.gov.in, Toll Free No.: 1800 180 4000 (UKSLSA);
NALSA Helpline No. 15100

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।

संख्याः- 111 /VI-A-5/२००९/रा०वि०से०प्रा०/२०१०,
नैनीतालः दिनांकः 25 मई, २०१०

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के वृ०प०:१०/एस.एल.एस.ए.-१५९/९७, दिनांकित २६ जुलाई, १९९७ विषयक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठकों में जलपान की व्यवस्था हेतु व्यय की निर्धारित सीमा के क्रम में मुझ अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अपने जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संदर्भ में की जाने वाली बैठकों के आयोजन में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था हेतु जलपान व्ययों की उपरोक्त तात्कालिक निर्धारित सीमा रु० 75/- को रु० 300/- प्रति बैठक तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

२. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठकों के उक्त व्ययों को "०८-कार्यालय व्यय" की मानक मद के अन्तर्गत "कान्टीजेन्सी" की मद में स्वीकृत राशि से वहन किया जायेगा।

३. "लोक अदालतों" के आयोजन के संदर्भ में बुलाई गयी बैठकों में जलपान के व्ययों को "४२-अन्य व्यय" की मद में स्वीकृति राशियों से वहन किया जायेगा तथा उसके व्ययों की गणना उसी "लोक अदालत" के व्ययों में की जायेगी जिस लोक अदालत के आयोजन के संदर्भ में बैठक आयोजित की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से मा० कार्यपालक अध्यक्ष महोदय,

o/c

(प्रशान्त जोशी)
सदस्य-सचिव

संख्याः- 111 /VI-A-5/२००९/रा०वि०से०प्रा०/२०१०, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः-

१. समस्त जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश।
२. लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड रा०वि०से०प्रा०।
३. गार्ड फाईल।

o/c

(प्रशान्त जोशी)
सदस्य-सचिव